

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

National Family Benefit Scheme (Maharashtra)

मुख्य कमाने वाले सदस्य को खोने वाले गरीब परिवार के लिए एक बार की आर्थिक मदद।

क्या मिल सकता है

मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर, दुर्घटना से हो या स्वाभाविक कारण से, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को एक बार 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता।

किसके लिए है

BPL परिवार, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य (18 से 59 वर्ष) की मृत्यु हो गई हो।

मुख्य शर्तें

- परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो।
- मुख्य कमाने वाले सदस्य की उम्र 18 से 59 वर्ष हो।

आवेदन कैसे करें

- क्लेक्टर कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा या तलाठी कार्यालय में आवेदन जमा करें।
- पेज पर दिया पोर्टल <https://nsap.nic.in/> है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/national-family-benefit-scheme/>

आधिकारिक आवेदन: <https://nsap.nic.in/>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-national-family-benefit-scheme/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।